न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2021 दायर दिनांकः 01.02.2021

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र गोपीचन्द जाति मीना
2. चेतनसिंह आयु 28 वर्ष पुत्र गोपीचन्द जाति मीना निवासीगण बल्देवपुरा पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. गोपीचन्द आयु 58 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी बलदेवपुरा पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. अनीता बाई आयु 33 वर्ष पुत्री गोपीचन्द पत्नि पुरूषोत्तम जाति मीना निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी दुर्जनपुरा पो0 बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. सुनीता आयु 30 वर्ष पुत्री गोपीचन्द पत्नि रविन्द्र जाति मीना निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी कुकड़ा खुर्द पो0 पिपल्दा तहसील रामगंजमण्ड़ी जिला कोटा (राज0)
4. सीमा कुमारी आयु 29 वर्ष पुत्री गोपीचन्द पत्नि अमिन कुमार जाति मीना निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी गोरड़ी पो0 ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट
बाबत खातेदारी घोषणा

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर

निर्णय

दिनांक 13/02/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर की खाता संख्या 21 के ख0न0 121 का रकबा 2.93 है0, ख0न0 340 का रकबा 1.90 है0, ख0न0 359 का रकबा 3.96 है0, ख0न0 363 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 370 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 380/435 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 का रकबा 9.56 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी नवीन साथ में संलग्न हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम बलदेवपुरा की खाता संख्या 21 के कुल किता 6 का रकबा 9.56 है0 आराजी पैतृक सम्पत्ति हैं जो प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता हैं जिसमें नोशनल शेयर से जन्म से ही वादीगण का हिस्सा 1/6–1/6 बनता हैं। इसलिए वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें जिसके वादीगण अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादीगण का नाम उक्त वर्णित आराजी में दर्ज नहीं किया गया तो वादीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा यदि प्रतिवादी क्रम 1 ने आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण कर दिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होंगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इसलिए वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। प्रतिवादी क्रम 1 ने आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू से कृषि ऋण ले रखा हैं इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद खातेदारी की घोषणा का होने से तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 6 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं यदि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी का बेचान कर दिया तो वादीगण के वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेंगा इसलिए मामले को आवश्यक प्रकृति का मानते हुए नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के

साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20/12/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आराजी बेचान करने की धमकी देने तथा अंतिम बार दिनांक 15/01/2021 को वादीगण का नाम खाते में दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम बलदेवपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) यह कि वादीगण को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी ग्राम बलदेवपुरा की खाता संख्या 21 का कुल किता 6 का रकबा 9.56 है0 आराजी में 1/6–1/6 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 6 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादीगण द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं करने एवं अप्रार्थी कृषक के कृषि कार्यों में व्यस्त होने के संतोषजनक कारण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार किया गया।

3. वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा दिनांक 30.01.2023 पेश कर कथन किया गया कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायाल में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियम है। उपरोक्त उनवान के बाद में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य

राजीनामा हो गया है। जिसमें राजीनाम निम्न प्रकार है– ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर की खाता संख्या 21 के ख0न0 121 का रकबा 2.93 है0, ख0न0 340 का रकबा 1.90 है0, ख0न0 359 का रकबा 3.96 है0, ख0न0 363 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 370 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 380/435 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 का रकबा 9.56 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण को हिस्सा 1/6–1/6 का खातेदार कृषक घोषित कर आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने के लिए वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 स्वेच्छा से यह राजीनामा पेश कर रहे है। अतः माननीय न्यायालय में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 गोपीचन्द की ओर से राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्तनुसार राजीनामा तस्दीक फरमाने की कृपा करें। पेश राजीनामा प्रथम दृष्टया भारतीय संविधा अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

4. राजीनामा पढ़कर खुले न्यायालय में उभय पक्षकारान को सुनाया गया जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री लोकेश कुमार गुर्जर एड0 द्वारा की गई जो तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया ।

5. अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि राजीनामा दिनांक 30.01.2023 को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बलदेवपुरा की विवादित पैतृक आराजी में वादीगण को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा 1/6–1/6 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है और प्रतिवादी क्रम 1 के 5 वैध वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 है जिसे अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया एवं राजीनामा को स्वीकार किये जाने पर सहमति दी गई।

6. अभिभाषकगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम बलदेवपुरा की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 21 किता 6 रकबा 9.56 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 गोपीचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीना के दर्ज खाता स्थित है। बहस के

दौरान विवादित आराजी के वादीगण की पैतृक संपत्ति होने पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ने सहमती व्यक्त की है। पेश राजीनामा दिनांक 30.01.2023 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ग्राम बलदेवपुरा की उक्त विवादित आराजी में वादीगण को हिस्सा 1/6–1/6 पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। अतः यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित आराजी वादीगण की पैतृक संपत्ति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जन्म से ही वादीगण का हक व अधिकार निहित है। धारा 20 के प्रावधान निम्नानुसार है–

"**Section 20**- A child who was in the womb at the time of the death of an intestate and who is subsequently born alive shall have the same right to inberit to the intestate as if he or she had been born before the death of the intestate, and the inberitance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of the death of the intestate".

क्या अब न्यायालय के सामने प्रश्न है कि क्या किसी हिन्दू काश्तकार के जीवनकाल में उसके कानूनी वारीसान उसकी पैतृक संपत्ति में अपना हक व अधिकार प्राप्त कर सकते है या नहीं ? इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.5(1)राजस्व–6/97/18 दिनांक 18.01.2007 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09. 1997 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म में पुत्र को अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की संपत्ति में पुत्र/पुत्री को जन्म से ही अधिकार होता है इसलिए पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री भी सहकृषक होते है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत का विभाजन के संबंध में पिता या पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है।

7. वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 इस तथ्य पर भी सहमत है कि प्रतिवादी क्रम 1 के दो पुत्र –वादीगण एवं तीन पुत्रियां प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 है। अर्थात विवादित आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 1/6–1/6 हिस्सा बनता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, पेश राजीनामा दिनांक 30.01.2023 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18.01.2007 के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, पेश राजीनामा दिनांक 30.01.2023 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18.01.2007 के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर की खाता संख्या 21 के ख0न0 121 का रकबा 2.93 है0, ख0न0 340 का रकबा 1.90 है0, ख0न0 359 का रकबा 3.96 है0, ख0न0 363 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 370 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 380/435 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 का रकबा 9.56 है0 आराजी में वादीगण जितेन्द्र कुमार एवं चेतनसिंह पुत्रान गोपीचन्द जाति मीना को हिस्सा 1/6–1/6 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 19/2021 **दायर दिनांकः 01.02.2021**

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र गोपीचन्द जाति मीना
2. चेतनसिंह आयु 28 वर्ष पुत्र गोपीचन्द जाति मीना निवासीगण बल्देवपुरा पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां।

वादीगण

बनाम

1. गोपीचन्द आयु 58 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी बलदेवपुरा पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
2. अनीता बाई आयु 33 वर्ष पुत्री गोपीचन्द पत्नि पुरूषोत्तम जाति मीना निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी दुर्जनपुरा पो0 बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. सुनीता आयु 30 वर्ष पुत्री गोपीचन्द पत्नि रविन्द्र जाति मीना निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी कुकड़ा खुर्द पो0 पिपल्दा तहसील रामगंजमण्ड़ी जिला कोटा (राज0)
4. सीमा कुमारी आयु 29 वर्ष पुत्री गोपीचन्द पत्नि अमिन कुमार जाति मीना निवासी बलदेवपुरा हाल निवासी गोरड़ी पो0 ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट</u>
<u>बाबत खातेदारी घोषणा</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..............................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बलदेवपुरा पटवार हल्का कटावर की खाता संख्या 21 के ख0न0 121 का रकबा 2.93 है0, ख0न0 340 का रकबा 1.90 है0, ख0न0 359 का रकबा 3.96 है0, ख0न0 363 का रकबा 0.48 है0, ख0न0 370 का रकबा 0.25 है0, ख0न0 380/435 का रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 का रकबा 9.56 है0 आराजी में वादीगण जितेन्द्र कुमार एवं चेतनसिंह पुत्रान गोपीचन्द जाति मीना को हिस्सा 1/6–1/6 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.02.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)